न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज जिला–सिरोही

बईजलास, श्रीमती शकुंतला, R.A.S

वादीगण		प्रतिवादीगण
1.पप्पू कुंवर धर्मपत्नि छैलसिंह 2.गुनगुन कुंवर पुत्री छैनसिंह उम्र 14 वर्ष नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता पप्पू कुंवर पत्नि छैलसिंह जातियान राजपूत निवासी बड़गांव, तह0 शिवगंज, जिला सिरोही हाल निवासी गुडा अजबा, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली (राजस्थान)	बनाम	1.महावीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बड़गांव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही 2.कैलाश कुंवर पुत्री नारायणसिंह, पत्नि गजेन्द्रसिंह, निवासी ढुंढा, तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी 18, श्याम नगर कॉलोनी, वार्ड नम्बर 09, झोटवाडा, जयपुर 3.महेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह 4.सुरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह 5.मोतीसिंह पुत्र रावतसिंह सर्व जातियान राजपूत, निवासी बड़गांव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही 6.राजस्थान सरकार, जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल,
प्रतिवादी सं0 1 व 2
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा
प्रतिवादी सं0 3,4

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 10/2022
दिनाक 13.03.2024

–:निर्णय:–

वकील पक्षकारान व पैरोकार सरकार उपस्थित। दिनांक 20.02.2024 को तहसीलदार शिवगंज से प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने से उक्त प्रकरण अवलोकन कर निर्णय/डिकी पर रखी गई।

पत्रावली का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त आराजी **मौजा बडगांव** पटवार हल्का बडगावं तह0 शिवगंज के **खसरा नं0 670/46 , 741/2, 742/1, 82/23, 86/3 रकबा कमशः 2.5981, 08013, 0.1133, 0.6394, 0.1133 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.2654 हैक्टयर भूमि** का विभाजन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है। अतः वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता है।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित कर डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शें के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 13.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(शकुंतला)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:33 IST
Reason: SelfAttested

कमांक/कोर्ट/2024/ 141
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज।

दिनांक 13.03.2024

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)